न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/375/2018

उनवान

1. श्रीमती पारसी पत्नी रामकुंवार जाट निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. राजू पुत्र रामकुंवार जाट निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. रामलाल पुत्र सुजा जाट निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. गोपाल पुत्र सुजा जाट निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. मोडूराम पुत्र लादू राम जाट निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी राधेश्याम रूंथला जाति ब्राह्मण निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. रमेश चन्द्र पुत्र रामस्वरूप चौधरी जाति महाजन निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. राहूल पुत्र रमेश चन्द्र चौधरी निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर रमेश चन्द्र पुत्र रामस्वरूप चौधरी महाजन निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. आयुषी पुत्री रमेश चन्द्र चौधरी नाबालिग निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता रमेश चन्द्र पुत्र रामस्वरूप चौधरी महाजन निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

5. संतोक पत्नी मेघराज जाट निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. भीमराज पुत्र रामकुंवार जाट निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 18/2018 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.6.2018
अधिवक्तागण :–

1.श्री रामदयाल जाट ,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 अनुपस्थित
3. श्री गोपाल अजमेरा, प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 14.2.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हुरडा सेजा पटवार हल्का हुरडा सेजा, तहसील हुरडा की सरहद में वादीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 2112 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण अपनी उक्त खातेदारी की आराजियात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपनी उक्त आराजियात के उत्तरी दिशा की मेड पर जे सी बी से कच्चा मिट्टी का डोल डाल रखा है। दिनांक 24.7.2017 को प्रतिवादीगण हमसलाह होकर आये तथा वादीगण के साथ लडाई झगडा करने लग गये एवं धमकी दी कि

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादीगण की आराजियात की उत्तरी मेड पर डाले गये मिट्टी के डोल को तोड देंगें एवं वादीगण के खेत में खडी फसल, घास इत्यादि को आवागमन करते हुए नष्ट कर देंगें तथा वादीगण की आराजियात पर अनाधिकार तौर पर कब्जा करेंगे व वादीगण को बेदखल कर देंगे।

2. वादीगण ने ओलम्बा देते हुए ऐसा नहीं करने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं हुए एवं वादीगण को स्पष्ट धमकी दी कि वे वादीगण की आराजी की उत्तरी दिशा की मेंड पर डाले गये सम्पूर्ण मिट्टी की डोल को नष्ट कर देंगें तथा वादीगण को बेदखल कर उनकी आराजियात पर कब्जा कर लेंगे। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 2112 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के उपयोग उपयोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे एवं वादीगण की फसल को नष्ट नहीं करें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी। लोक अदालते समाप्त होने पर नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 2.7.2018 को पेश किया व नकल दिनांक 16.8.2018 को प्राप्त हुई। तब अपीलाधीन निर्णय की

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण को जानकारी हुई। इसलिए जानकारी से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की गई है। अतः निर्णय पारित किये जाने से निर्णय की नकल प्राप्ति की अवधि को कण्डोन किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई साक्ष्य लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सें 4 द्वारा जो वाद पत्र पेश किया गया है वह मिथ्या तथ्यों पर पेश किया गया है। अपीलार्थीगण की कृषि भूमि पर आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध करने की गरज से उक्त झूठा दावा पेश किया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को अपना जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने मामले में वकालत नामा पेश किया लेकिन मामले में बिना अपीलार्थीगण को जवाब पेश करने का अवसर दिये, बिना वादी रेस्पोडेण्ट की साक्ष्य लिये बिना विवाद्यकों की रचना किये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है , जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार अभियान केम्प में दिनांक 18.6.2018 की प्रथम तारीख पेशी नियत थी, जो कि मामला वास्ते तामील हेतु कायम था।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी कर मामले में बिना विवाद्यक कायम किये बिना वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिये, बिना प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किये मात्र अपेन प्रकरण निस्तारित करने का कोटा पूरा करने के उद्धेश्य से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर एक ही दिन में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि मामले में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजर अंदाज करके व विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

11. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रस्तुत किया । जिसे दिनांक 15.1.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने के साथ ही आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.2.2018 नियत की गई। दिनांक 5.2.2018 , 5.3.2018, 23.4.2018 को प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। दिनांक 23.4.2018 प्रकरण में दिनांक 23.7.2018 की तारीख पेशी नियत की गई। लेकिन नियत तारीख पेशी दिनांक 23.7.2018 से पूर्व ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरडा में नियत किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के अधिवक्ता रामदयाल जाट द्वारा पावर व सूचि के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेज को रेकार्ड पर ली जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया गया।

13. मूल वाद में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा आने पर तनकियात कायम किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

14. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में नियत किये जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है। जबकि राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष के मध्य आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीनामा होना हो। प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा सहमति स्वरूप राजीनामा प्रस्तुत करना होता है जिसमें उभयपक्ष के हस्ताक्षर होते हैं।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलाधीन प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजीनामा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं कर जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब दावा लिये जाने के उपरान्त तनकियात कायम की जावे एवं विधिवत प्रक्रिया को अपनाते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17/3/20 को उपस्थित रहे।

17. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.14 16:45:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: